संख्या-7/2017-535/14-4-2017-500(11)/2009टीसी

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 31 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 1323.11लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-1088/36-टी-46 (गो0चि0) दिनांक 27 मार्च, 2017 तथा संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या-2657/7-4(गो0चि0) दिनांक 27 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/प्रस्तावित कार्य के विवरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1- 746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-535(ए)/14-4-2017-500(11)/2009टीसी दिनांक 31.03.2017 द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग की धनराशि रू0 1323.11 लाख की स्वीकृति (रू0 तेरह करोड़ तेईस लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूॅजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिड़ियाघर-	
09- गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना	
24-वृहत निर्माण कार्य	132311000
योगः-	132311000

(रू0 तेरह करोड़ तेईस लाख ग्यारह हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त योजना के संबंध में शासन द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 17.02.2017 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या-367/14-4-2017-500(11)/2009टीसी दिनांक 28 फरवरी,2017 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- विषयगत योजना के संबंध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.02.2016 के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जा सकेगा।

7- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

10- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से यथा आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

12- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानको के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, के उक्त पत्र दिनांक 27 मार्च, 2017 तथा साथ में संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र दिनांक 27 मार्च,2017 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जायेगा।

14- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-11-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-535/14-4-2017-500(11)/2009टीसी तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम लि0 फैजाबाद, इकाई फैजाबाद।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- नियोजन अनुभाग-3
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 27 मई, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत मिट्टी भरान के कार्य हेतु रू0 350.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युकत विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-1423/36-टी-46 (गो0चि0) दिनांक 17 मई, 2016 तथा संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या-1110/7-4(गो0चि0) दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/प्रस्तावित कार्य के विवरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1- 746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत मिट्टी भरान का कार्य कराये जाने हेतु पुनरीक्षित संशोधित लागत रू0 11366.54 लाख (रू0 एक अरब तेरह करोड़ छाछट लाख चौवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक धनराशि (रू0 हजार में)

अनुदान संख्या-60

पूॅजीलेखा-

4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूॅजीगत परिव्यय आयोजनागत

02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

111-चिड़ियाघर

09-गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

24-वृहत निर्माण कार्य 35000

योगः-

35000

(रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र)

कार्यमदवार विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र.सं. योजना का नाम प्रस्तावित कार्य का विवरण व्यय वित्त समिति द्वारा कालम-3 में उल्लिखित कार्यो हेतु अनुमोदित धनराशिव्यय वित्त समिति द्वारा इन कार्यमदों हेतु अनुमोदित धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

के सापेक्ष वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृति धनराशि

1 2 3 4 5 6

जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला प्राणि उद्यान की स्थापना

मिटटी भरान का कार्य

1491.54

890.93

350.00

2 प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3 विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

4 प्रश्नगत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में रिटेनिंग वाल हेतु रू0 50244.57 प्रति र0मी0 तथा बाउण्ड्रीवाल हेतु रू0 23423.00 प्रति र0मी0 प्रस्तावित की गयी, जोकि सामान्य रिटेनिंगवाल एवं बाउण्ड्रीवाल की लागत से काफी अधिक है। अतः रिटनिंगवाल एवं बाउण्ड्रीवाल की प्रति र0मी0 अत्यधिक प्रस्तावित लागत के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल की आवश्यकता एवं औचित्य एवं लागत का उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ इस बिन्दु पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

5 पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में 552422.80 घ0मी0 मिटट्ी भराई हेतु रू0 2057.18 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जो 22.50 कि0मी0 की दूरी से लायी जानी है जबकि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा 15 कि0मी0 की दूरी से मिट्टी लाये जाने की संस्तुति की गयी। अतः जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की 22.50 कि0मी0 की दूरी से मिट्टी लाये जाने पर संस्तुति प्राप्त किये जाने के पश्चात् इस दूरी से मिट्टी लाये जाने की लागत को अनुमन्य किया जाय। तत्क्रम में प्रभाग द्वारा 15 कि0मी0 दूरी से लाये जाने हेतु रू0 1491.54 लाख की

धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए विभाग कृपया सम्पूर्ण कार्यवाही करेंगे, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात् मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही मिट्टी की अत्यधिक मात्रा के दृष्टिगत विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना हेतु मिट्टी

http://shasanadesh.up.nic.in

जिन किसानों के खेतों से प्राप्त की जानी है, उन किसानों के नाम, ग्राम व उनके खेतों के खसरे का नम्बर, किस किसान के खेत के किस खसरा नम्बर से कितनी मिट्टी प्राप्त की जानी है, उसका किसानवार भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण पारदर्शी तरीके से डंपदजंपद किया जाय तथा इसकी किसी सक्षम स्तर के अधिकारी से समय-समय पर रेन्डम चेकिंग करायी जाये ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता और द्विरावृत्ति न हो।

6 पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में इन्टरप्रिटेशन सेन्टर, टाइप-4 आवास (2 नग), टाइप-3 आवास (3 नग), टाइप-2 आवास (15 नग), टाइप-1 (24 नग), किचन रूम, मीट हाउस, टिकट काउन्टर एवं क्लाक रूम, इक्वैरियम, स्नैक हाउस, स्माल कैट हाउस, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, विजिटर शेड, टायलेट ब्लाक, गिफ्ट शाप, रेस्टोरेन्ट, हास्पिटल, सिक्योरिटी बूथ, केज शेड का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अतः प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकि स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा उस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अगली किश्त निर्गत की जाये।

7- योजनान्तकर्गत कराये जाने वाले समस्ति कार्य व्यश्य वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्ते वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक

प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढानाए कार्यों के आकारध्क्षेत्रफल में वृद्धिए इत्यारदिए व्यनय वित्तय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्तन किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्थाआ द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृयत डिजाइनध् ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ता1व पर 03 माह के अन्दतर समिति का पुनरू अनुमोदन प्राप्ति किया जाना अनिवार्य होगा अन्य1था बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत सीवर लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर आपरेशन, ट्यूबवेल एवं बोंरिग, पम्प हाउस, स्ट्रीट लाइट/वाह्य विद्युतीकरण, साइन बोर्ड, स्प्रिन्कलर सिस्टम, लैण्ड स्केपिंग, ओवर हेड टैंक, आर0सी0सी0 सम्प आदि कार्य मदों हेतु डी0एस0आर0/एकमुश्त आधार पर लागत प्रस्तावित की गई है। अतः निर्माण से पूर्व इन समस्त मदों का विस्तृत आगणन का गठन जनपद के अनुसूची दरों पर किया जाय एवं इस गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

9- प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए, प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति की सत्त अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैक की प्रति व्यय वित समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

10. उक्तथ् धनराशियों का आवंटन स्वजयं में व्ययि का अधिकार नहीं देताए अतरू जिस व्ययि के संबंध में वित्तीय हस्तजपुस्तिका के अन्त र्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्यस सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमतिध्सहमति लिया जाना अपेक्षित होए उसे व्य य करने से पूर्व अनिवार्यतरू प्राप्ति किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोपर परचेज एवं वित्तीवय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्ततर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्तम किया जायेगा। व्य।य करते समय मितव्ययरयिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0.सी0ए0 1132ध्दस.2004.मित.1ध्2004 दिनांक 7ण्1ण्2005 तथा शासनादेश सं0.सी0ए0 1191ध्दस.2009.मित.1ध्2007 दिनांक 26ण्10ण्2009 एवं इस संबंध में समय.समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- समस्तो विधिक पहलुओं पर आश्वास्त होते हुए समस्तद वैधानिक स्वी कृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्तं करने तथा अन्यप संबंधित विभागों से यथा.आवश्यकक अनुमतिध्

सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्तव ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भय किया जायेगा।

12. केन्द्री य चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्तज करने के उपरान्तम ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

13. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्वा कार्यदायी संस्थाजध्विभागाध्येक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्तर कार्य की वर्तमान तथा भविष्यक में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्तिध्दिवरावृत्ति न हो।

14. व्यभय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय.सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्ये क माह की समाप्ति पर व्युय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

15. प्रमुख वन संरक्षकध्मुख्या वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय.समय पर स्थकलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थालीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय.समय पर उपलब्धर करायी जायेगी।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख.सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

17. स्वीकृत धनराशि के व्याय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्तात नियंत्रक अधिकारीए विभागाध्यिक्ष अथवा कार्यालयाध्यपक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ताण प्रमाण.पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण.पत्र सक्षम स्तर को उपलब्धा करा दिया गया हो।

18. यह आदेश वित्तस द्धआय.व्ययक;अनुभाग.1 के कार्यालय ज्ञाप संख्यां.1ध्2016ध्बी.1.746ध्द .2016 .231ध्2016 दिनांक 22 मार्च 2016में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धोंस के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीयए

;मो0 जुनीदद्ध

संयुक्ता सचिव

संख्या-1267(1)/चौदह-4-2016-500(11)ध्2009 टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य2क कार्यवाही हेतु प्रेषितरू.

1. प्रधान महालेखाकार ;लेखा एवं हकदारीद्धए प्रथमध्एद्वितीयए उत्तमर प्रदेशए इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्री य भवनए अलीगंजए लखनऊ।
3. प्रधान मुख्यि वन संरक्षकए वन्यद जीव उत्तंर प्रदेशए लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्ययय वन संरक्षकए योजना एवं क़षि वानिकीए उत्त र प्रदेशए लखनऊ।
5. परियोजना प्रबन्धुकध्राजकीय निर्माण निगम लि0 फैजाबाद इकाई फैजाबाद।
6. वित्तज नियंत्रकए कार्यालय प्रधान मुख्ययय वन संरक्षकए उ0प्र0ए लखनऊ।
7. वित्तज ;आय.व्ययकद्ध अनुभाग.1ध्2
8. वित्तज ;व्यूय.नियंत्रणद्ध अनुभाग.7
9. नियोजन अनुभाग.3
10. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा सेए

;मो0 जुनीद द्ध
संयुक्ते सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–4 **लखनऊः दिनांक : 27 मई, 2016**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत मिट्टी भरान के कार्य हेतु रू0 350.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युकत विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या–पी–1423/36–टी–46 (गो0चि0) दिनांक 17 मई, 2016 तथा संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या–1110/7–4(गो0चि0) दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/प्रस्तावित कार्य के विवरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुदान संख्या–60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना योजनान्तर्गत मिट्टी भरान का कार्य कराये जाने हेतु पुनरीक्षित संशोधित लागत रू0 11366.54 लाख (रू0 एक अरब तेरह करोड़ छाछट लाख चौवन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या–60	
पूँजीलेखा–	
4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत	
02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
111–चिड़ियाघर	
09–गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना	
24–वृहत निर्माण कार्य	35000
योगः–	**35000**

(रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यमदवार विवरण निम्नवत् है :–

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित कार्य का विवरण	व्यय वित्त समिति द्वारा कालम–3 में उल्लिखित कार्यो हेतु अनुमोदित धनराशि	व्यय वित्त समिति द्वारा इन कार्यमदों हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6
	जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला प्राणि उद्यान की स्थापना	मिटटी भरान का कार्य	**1491.54**	**890.93**	**350.00**

2 प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3 विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

4 प्रश्नगत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में रिटेनिंग वाल हेतु रू0 50244.57 प्रति र0मी0 तथा बाउण्ड्रीवाल हेतु रू0 23423.00 प्रति र0मी0 प्रस्तावित की गयी, जोकि सामान्य रिटेनिंगवाल एवं बाउण्ड्रीवाल की लागत से काफी अधिक है। अतः रिटनिंगवाल एवं बाउण्ड्रीवाल की प्रति र0मी0 अत्यधिक प्रस्तावित लागत के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल की आवश्यकता एवं औचित्य एवं लागत का उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ इस बिन्दु पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

5 पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में 552422.80 घ0मी0 मिटट्री भराई हेतु रू0 2057.18 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जो 22.50 कि0मी0 की दूरी से लायी जानी है जबकि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा 15 कि0मी0 की दूरी से मिट्टी लाये जाने की संस्तुति की गयी। अतः जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की 22.50 कि0मी0 की दूरी से मिट्टी लाये जाने पर संस्तुति प्राप्त किये जाने के पश्चात् इस दूरी से मिट्टी लाये जाने की लागत को अनुमन्य किया जाय। तत्क्रम में प्रभाग द्वारा 15 कि0मी0 दूरी से लाये जाने हेतु रू0 1491.54 लाख की

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए विभाग कृपया सम्पूर्ण कार्यवाही करेंगे, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात् मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही मिट्टी की अत्यधिक मात्रा के दृष्टिगत विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना हेतु मिट्टी जिन किसानों के खेतों से प्राप्त की जानी है, उन किसानों के नाम, ग्राम व उनके खेतों के खसरे का नम्बर, किस किसान के खेत के किस खसरा नम्बर से कितनी मिट्टी प्राप्त की जानी है, उसका किसानवार भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण पारदर्शी तरीके से Maintain किया जाय तथा इसकी किसी सक्षम स्तर के अधिकारी से समय–समय पर रेन्डम चेकिंग करायी जाये ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता और द्विरावृत्ति न हो।

6 पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में इन्टरप्रिटेशन सेन्टर, टाइप–4 आवास (2 नग), टाइप–3 आवास (3 नग), टाइप–2 आवास (15 नग), टाइप–1 (24 नग), किचन रूम, मीट हाउस, टिकट काउन्टर एवं क्लाक रूम, इक्वैरियम, स्नैक हाउस, स्माल कैट हाउस, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, विजिटर शेड, टायलेट ब्लाक, गिफ्ट शाप, रेस्टोरेन्ट, हास्पिटल, सिक्योरिटी बूथ, केज शेड का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अतः प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकि स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा उस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अगली किश्त निर्गत की जाये।

7– **योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक**

प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में

http://shasanadesh.up.nic.in

वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8– प्रायोजनान्तर्गत सीवर लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर आपरेशन, ट्यूबवेल एवं बोंरिग, पम्प हाउस, स्ट्रीट लाइट/वाह्य विद्युतीकरण, साइन बोर्ड, स्प्रिन्कलर सिस्टम, लैण्ड स्केपिंग, ओवर हेड टैंक, आर0सी0सी0 सम्प आदि कार्य मदों हेतु डी0एस0आर0/एकमुश्त आधार पर लागत प्रस्तावित की गई है। अत: निर्माण से पूर्व इन समस्त मदों का विस्तृत आगणन का गठन जनपद के अनुसूची दरों पर किया जाय एवं इस गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

9– प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए, प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति की सतत अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैक की प्रति व्यय वित समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

10- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/

http://shasanadesh.up.nic.in

सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

13- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

14- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

15- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

16- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

17- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाघ्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

18- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या/2016/1-बी/746-1-द - 2016/231- 2016दिनांक 22 मार्च 2016में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या–1267½1½/चौदह–4–2016–500(11)/2009 टीसी तददिनांक।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- परियोजना प्रबन्धक/राजकीय निर्माण निगम लि0 फैजाबाद इकाई फैजाबाद।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- नियोजन अनुभाग-3
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in